

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1146/2025

अरिहंत कुमार जैन

—अपीलार्थी

## बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,  
राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025

आदेश की दिनांक : 24.02.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष  
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर नगर परिषद हिण्डोन, करौली में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण नगर परिषद गंगापुर सिटी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एक नगर परिषद से दूसरी नगर परिषद में किया गया है। उनका कथन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के नियम-330 के अनुसार नगर पालिका सेवा के किसी कर्मचारी का एक नगर पालिका से दूसरी नगर पालिका में स्थानांतरण किये जाने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी के वर्तमान पद को रिक्त रखते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा ही किया गया है। ऐसे में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के नियम-330 के तहत स्थानांतरण किये जाने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता में जारी किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्वक या नियम-विरुद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)  
अध्यक्ष